भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1017
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष का उपयोग

1017. **श्री ईश्वरस्वामी के.:**
श्री के. ई. प्रकाश:
श्री जी. लक्ष्मीनारायण:
डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अत्यधिक धननिधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो निर्भया कोष के अंतर्गत इसकी स्थापना के बाद से देश भर में आवंटित, जारी और उपयोग की गई धननिधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, परियोजना-वार, वर्ष-वार, मंत्रालय/विभाग/कार्यान्वयन एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है तथा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रमुख पहल क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्भया कोष के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या/परियोजनाओं के प्रकार क्या हैं तथा उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वार्षिक बजट में परियोजना के लिए अलग से कोई शीर्ष बनाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने निर्भया कोष के उपयोग और प्रभावशीलता की कोई समीक्षा की है, यदि हां, तो प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और इसके कार्यान्वयन में सुधार के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार ने उक्त कोष परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र प्रस्तावित किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार ने सार्वजनिक परिवहन जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन

ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) में यात्री वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के एसओएस बटन के साथ वाहन ट्रैकिंग उपकरणों की स्थापना, आंध्र प्रदेश की अभयम परियोजना और राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी)में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, परियोजना-वार, वर्ष-वार, मंत्रालय/विभाग/कार्यान्वयन एजेंसी-वार विवरण **अनुलग्न-I** में संलग्न हैं।

(ग): निर्भया कोष के तहत आने वाली परियोजनाओं में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव, मौजूदा बुनियादी ढाँचे के इष्टतम उपयोग का प्रावधान, प्रौद्योगिकी का नवोन्मेषी उपयोग, जहाँ तक संभव हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी जैसे तात्कालिक पहल का प्रावधान, जो फुटेज की तात्कालिक निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है, जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस), महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी), अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जैसे 8 प्रमुख शहरों में सुरक्षित शहर परियोजना, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकरण, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी), मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयां (एएचटीयू), केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ), डीएनए विश्लेषण को मजबूत करना, राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में साइबर फोरेंसिक तथा संबंधित सुविधाएं, बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष पोक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं की सहायता के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी) इत्यादि जैसी परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। निर्भया कोष के अंतर्गत मूल्यांकित परियोजनाओं की सूचि **अनुलग्नक II** में संलग्न है।

(घ): प्रत्येक वर्ष, ज़रूरतों के आधार पर, सरकार निर्भया कोष के लोक खाते में निधि अंतरित करने के लिए वार्षिक बजट में निधियां आवंटित करती है। इसके अलावा, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की विस्तृत अनुदान माँग में आवश्यकतानुसार निधि के प्रावधान हेतु विशिष्ट बजट शीर्ष होता है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा मूल्यांकित और सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) द्वारा अनुमोदित जारी परियोजनाओं के साथ-साथ नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आईए जारी करता है।

(ड.) से (छ): निर्भया कोष के लिए फ्रेमवर्क के तहत गठित ईसी शुरुआत में निर्भया कोष के तहत फंडिंग के प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है। निर्भया कोष के तहत परियोजनाओं/योजनाओं में आम तौर पर चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्यक्रम होता है। ईसी द्वारा किसी परियोजना/योजना के मूल्यांकन पर, संबंधित मंत्रालय/विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) की मंजूरी लेता है और आवश्यकतानुसार योजना/परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी करता है। ईसी समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर अनुमोदित परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय स्थिति की व्यापक समीक्षा भी करती है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियां भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं।

*****

अनुलग्नक –I

“निर्भया कोष का उपयोग” के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक ।

सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (करोड़ रुपये में)		
क्रम सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी और उपयोग की गई निधि**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.60
2	आंध्र प्रदेश	64.43
3	अरुणाचल प्रदेश	5.50
4	असम	7.89
5	बिहार	5.24
6	चंडीगढ़	3.25
7	छत्तीसगढ़	5.24
8	दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव	2.60
9	दिल्ली	6.33
10	गोवा	3.00
11	गुजरात	5.79
12	हरियाणा	4.19
13	हिमाचल प्रदेश	6.87
14	जम्मू और कश्मीर	6.33
15	झारखंड	4.19
16	कर्नाटक	39.43
17	केरल	5.79
18	लद्दाख	2.60
19	लक्षद्वीप	2.60
20	मध्य प्रदेश	4.19
21	महाराष्ट्र	5.79
22	मणिपुर	5.50
23	मेघालय	5.50
24	मिजोरम	6.87
25	नागालैंड	5.50
26	ओडिशा	5.24
27	पुददुचेरी	3.25
28	पंजाब	4.19
29	राजस्थान	4.19
30	सिक्किम	6.87
31	तमिलनाडु	5.79
32	तेलंगाना	15.72
33	त्रिपुरा	5.50
34	उत्तर प्रदेश	85.11
35	उत्तराखंड	5.50
36	पश्चिम बंगाल	4.19
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल निधि		**362.77**
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) - परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से केंद्रीय क्रियाकलापों/कार्यों पर खर्च की गई निधि		77.6
कुल योग		**440.3**

सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया कोष के अंतर्गत परियोजना-वार वितरित एवं उपयोग की गई निधि का विवरण (करोड़ रुपए)						
विवरण	**आंध्र प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा हेतु "अभयम् परियोजना"**	**सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश सरकार**	**भारी यात्री वाहनों के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कर्नाटक सरकार**	**राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी)**	**तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बसों में एसओएस बटन के साथ वाहन ट्रैकिंग डिवाइस की स्थापना**	
ईसी द्वारा स्वीकृत निधि	138.49	83.40	56.07	465.02	19.21	**762.19**
सीएफए द्वारा अनुमोदित निधि	138.49	82.56	56.06	463.9	19.21	**760.22**
जारी और उपयोग की गई निधि	58.64	80.92	33.64	255.57	11.53	**440.30**
सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया कोष के अंतर्गत वर्ष-वार जारी एवं उपयोग की गई निधि का विवरण						
2015-16	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-
2017-18	58.64	40.20	-	-	-	98.84
2018-19	-	-	33.64	-	-	33.64
2019-20	-	40.72	-	25.70	-	66.42
2020-21	-	-	-	139.33	-	139.33
2021-22	-	-	-	27.92	-	27.92
2022-23	-	-	-	11.74	11.53	23.27
2023-24	-	-	-	15.40	-	15.40
2024-25	-	-	-	35.51	-	35.51
कुल						440.30

अनुलग्नक-II

"निर्भया कोष का उपयोग" के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

निर्भया कोष के अंतर्गत मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या **(करोड़ रुपये)**

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	ईसी द्वारा मूल्यांकित निधि
1.	8 शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ) के लिए सुरक्षित शहर परियोजना	गृह मंत्रालय	2919.55
2.	राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना।	गृह मंत्रालय	252.79
3.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण।	गृह मंत्रालय	164.69
4.	यौन उत्पीड़न मामलों के लिए फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और फोरेंसिक किट की खरीद में जांच अधिकारियों (आईओ) / अभियोजन अधिकारियों (पीओ) / चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण।	गृह मंत्रालय	19.28
5.	कोंकण रेलवे के अंतर्गत अतिरिक्त स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	रेल मंत्रालय	26.49
6.	एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस)	रेल मंत्रालय	500
7.	महिलाओं की सुरक्षा के लिए टैब की खरीद	रेल मंत्रालय	6.35
8.	प्रायोगिक परियोजना के रूप में 7 स्टेशनों अर्थात मुंबई सीएसटी, दिल्ली, हावड़ा, सियालदह, पटना, सिकंदराबाद और चेन्नई सेंट्रल, पर वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस)	रेल मंत्रालय	33.60
9.	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना	न्याय विभाग	2668
10.	आंध्र प्रदेश की अभयम परियोजना	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/परिवहन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	138.49
11.	राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म (वीटीपी)	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	465.02
12.	मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	पर्यटन मंत्रालय/मध्य प्रदेश सरकार	27.99
13.	पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत पीड़ितों की देखभाल और सहायता हेतु योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	74.10
14.	मणिपुर के महिला बाज़ारों में भंडारण बक्सों की स्थापना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/मणिपुर सरकार	3.55
15.	महिला बाज़ारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/मणिपुर सरकार	1.95

16.	उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं/बालिकाओं के उद्यमिता विकास, व्यावसायिक-डिजिटल प्रशिक्षण, सुरक्षा और सशक्तीकरण हेतु जिला सूचना केंद्र (डीआईसी) केंद्रों पर महिला स्वावलंबन केंद्र (एमएसके) की स्थापना हेतु "मिशन शक्ति-2.0"	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/यूपीआईसीओएन	46.875
17.	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	867.74
18.	महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	155.94
19.	उत्तराखंड के 7 जिलों अर्थात पौडी गढ़वाल, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ, रूद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में डब्ल्यूडब्ल्यूएच का निर्माण।	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय / उत्तराखंड सरकार	25.54
20.	महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिक्किम राष्ट्रीयकृत परिवहन, (एसएनटी) की 100 बसों में सीसीटीवी की स्थापना, परिवहन विभाग, सिक्किम सरकार	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय / परिवहन विभाग, सिक्किम सरकार	3.97
21.	मणिपुर के 5 जिलों में 50 बिस्तरों वाले 7 कामकाजी महिला छात्रावास, अर्थात इम्फाल पश्चिम में 2, इम्फाल पूर्व में 2 तथा बिष्णुपुर, थौबल और काकचिंग में 1-1	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/योजना एवं विकास प्राधिकरण, मणिपुर सरकार	23.01
22.	विदेश स्थित 9 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलना	विदेश मंत्रालय	40.79
23.	उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों की कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास/शयनगृह का निर्माण	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/उत्तर प्रदेश सरकार	7.64
24.	क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) में महिला सुरक्षा पहलों का कार्यान्वयन - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)	आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय	53.85
25.	नागालैंड के 7 जिलों, अर्थात मोन, कोहिमा, फेक, पेरेन, वोखा, जुभेबोटो और चुमुकेदिमा में कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) का निर्माण	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/समाज कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार	28.00
26.	दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए आवास का निर्माण और सीसीटीवी कैमरों के रूप में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना.	उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय	272.00
27.	पंजाब के एसएएस नगर जिले में कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) का निर्माण	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/पंजाब सरकार	12.57
28.	तमिलनाडु के होसुर, सेंट थॉमस माउंट और तिरुवन्नामलाई में कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) का निर्माण	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/तमिलनाडु सरकार	35.87
29.	ग्राम पंचायत स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना	पंचायती राज मंत्रालय	484.78
30.	महिलाओं की सुरक्षा सहित महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति पुरुषों को संवेदनशील बनाना	पंचायती राज मंत्रालय	408.83
31.	हिंसा से मुक्ति: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण	पंचायती राज मंत्रालय	343.43
32.	एसओएस बटन वाले वाहन ट्रैकिंग उपकरणों की स्थापना	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/तेलंगाना राज्य सड़क	19.21

		परिवहन निगम	
33.	बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) में यात्री वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी)	56.06
34.	उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/उत्तर प्रदेश सरकार	83.40
35.	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)	गृह मंत्रालय	321.69
36.	केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष (सीवीसीएफ)	गृह मंत्रालय	200
37.	दिल्ली में जिला और उप-मंडल पुलिस स्टेशन स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं की सुविधा	गृह मंत्रालय	5.07
38.	सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए लैब की स्थापना	गृह मंत्रालय	99.76
39.	महिलाओं की सुरक्षा में सहायता के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण का विकास और क्षेत्र परीक्षण	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	3.49
40.	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/उत्तराखंड सरकार	0.72
41.	निर्भया आश्रय गृह	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/नागालैंड सरकार	2.84
42.	निर्भया डैशबोर्ड को तैयार	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	0.24
43.	औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु मिशन शक्ति	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/उत्तर प्रदेश सरकार	8.25
44.	नानकपुरा में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष इकाई (एसपीयूएनईआर) के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं के साथ नया भवन	गृह मंत्रालय	23.53
45.	'दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा' योजना के अंतर्गत विभिन्न अन्य क्रियाकलाप	गृह मंत्रालय	10.20
46.	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण	गृह मंत्रालय	113.76
47.	महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) और सीसीपीडब्ल्यूसी के अंतर्गत उप-परियोजनाएँ	गृह मंत्रालय	224.76
48.	चिराली: फ्रेंड्स फॉर इभर	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/राजस्थान सरकार,	10.20
49.	महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/मध्य प्रदेश सरकार	1.74
50.	महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	27.76